UPKS060005112022

न्यायालय सिविल जज(क० श्रे०) त्वरित न्यायालय–II , कौशाम्बी
उपस्थित– शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
मूल वाद संख्या– 154/2001

रामशरन उम्र 95 वर्ष पुत्र राममनोहर निवासी उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी। (मृतक)

1/1 शिवनरेश पुत्र स्व 0 रामशरन उम्र 48 वर्ष

1/2 रामप्रकाश पुत्र स्व 0 रामनरेश उम्र 27 वर्ष

निवासीगण उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

... ... .वादीगण

बनाम

1. बीरेन्द्र उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र शिवनन्दन
2. अशोक उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र रघुनन्दन
3. ग्राम प्रधान मौजा उदिहिन खुर्द श्रीमती सुषमादेवी उम्र 35 वर्ष पत्नी इन्द्रनारायण सिंह
4. चन्द्रशेखर सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र रामप्रसाद
5. करन सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र रामप्रसाद
6. उत्तर प्रदेश सरकार जरिये कलेक्टर, कौशाम्बी।
7. उपजिला मजिस्ट्रेट, सिराथू
8. थानाध्यक्ष मो0 पुर पइंसा
9. अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति श्रीमती सुषमादेवी ग्राम प्रधान उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

समस्त निवासीगण साकिनान, उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू जिला कौशाम्बी।

... ...प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

1. वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

2. वाद पत्र के अनुसार आराजी नं0 48 रकबा 0.101 स्थित मौजा उदहिन खुर्द परगना कडा जिला कौशाम्बी वादी सं0 1 के पिता व वादी संख्या 2 के बाबा

संक्रमणीय भूमिधर है और इसी आ0नं0 48 के बगल में ही जानिब उत्तर आराजी नं0 18 मि0 रकबा 0.103 स्थित मौजा उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी बंजर है। आराजी नं0 48 पर वादी के महुआ, आम तथा बबूल के पेड स्थित हैं जो बाग रूप में है जो पूर्वजो के समय से हैं। आ0नं0 48 पर वादी पूर्वजो के समय से ही खलिहान रखता है तथा जानवर बांधता है व चरही आदि बना रखा है। इस प्रकार वादी पूर्वजो के समय से लगातार काबिज व दखील चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का विस्तृत विवरण वादपत्र के अन्त में संलग्न मानचित्र में वादग्रस्त भूमि को अक्षर अ,ब,स,द बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 वादी की उपरोक्त जमीन पर बजोर कब्जा व दखल करना चाहते है और जबरन एवं गैर कानूनी ढंग से जानवर बांधने की चरही, खाद के गडढे तथा खलिहान पर कब्जा करना चाहते है एवं आम महुआ बबूल आदि के पेडो को काटकर गिराना चाहते हैं। उक्त प्रतिवादीगण 1 ता 5 हल्का लेखपाल को सांठगांठ करके वादी के उपरोक्त खलिहान, पेड, चरही, कण्डा उपली पाथने के स्थान को व खाद के गडढे को हटाने की धमकी दे रहे है जिससे वादी सं०-1 के पिता व वादी सं0-2 के बाबा क्षुब्ध होकर यह वाद दाखिल किया है। वाद का कारण दिनांक 20 मार्च 2001 के उस समय हुआ जब प्रतिवादीगण वादी सं०-1 के पिता व वादी सं0-2 के बाबा के घर जाकर वादग्रस्त भूमि से अपना कब्जा व दखल हटा लेने को कहा और धमकी दी कि यदि कब्जा दखल नही हटाया गया तो जान से मार देंगे। प्रतिवादीगण 6 ता 9 राज्य सरकार के अधिकारी है जो कि प्रार्थीगण/वादीगण की भूमि सं0 48 रकबा 0.101 हे0 जिसमें वादीगण के पुश्तैनी पेड खडे है तथा जानवर बांधने की चरही स्थापित है से वादीगण को बेदखल कर देना चाहते है और यदि प्रतिवादीगण 6 ता 9 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेधित नही किया गया तो वादीगण को सख्त हकतलफी होगी और वाद का प्रयोजन भी नष्ट हो जायेगा। उपरोक्त वाद का कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ जिसकी सुनवाई का हक बखूबी वाकिफ है।

3. वादीगण द्वारा याचना की गयी कि जरिये डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण उनके प्रतिनिधियों, सेवकों व सहयोगियों को सदैव के लिए रोक दिया जावे कि वे वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जा दखल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का अवैध हस्तक्षेप न करे और न ही वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करें।

4. प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की ओर से लिखित कथन कागज संख्या 12क दाखिल कर वादपत्र के कथनों से इनकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया कि वादी अपनी आराजी नं0 48 रकबा 0.101 हे0 स्थित मौजा उदहिन खुर्द परगना कडा

तहसील सिराथू का संक्रमणीय भूमिधर है तथा तथा उस पर वह काबिज व दखील है तथा खेत करता है तथा इस वर्ष गेहूं की फसल बो रखा था जो उसने काट लिया है। आराजी नं0 18 स्थित मौजा उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू का 0091 हे0 का पटटा जवाबदातागण के हक में किया गया है तथा पटटे की भूमि पर जवाबदातागण को कब्जा व दखल दे दिया गया है तथ जवाबदातागण आज तक बराबर काबिज व दखील चले आ रहे है तथा शेष रकबा 0.903 हे0 पर शमशान व जबावदातागण के पेड खडे है। वादी का उक्त आराजी नं0 18 के एक भी बिस्वा रकबा पर न कोई हक है न हिस्सा है बल्कि वादी के द्वारा न्यायालय में गलत तथ्य बताकर भूमि हडपने की कोशिश की जा रही है। वादी का आ 0 नं0 18 पर कभी भी कब्जा दखल नही रहा है न आज है। वादी का यह कथन की उसकी आराजी नं0 48 व आराजी नं 18 के बीच में एक कच्ची सडक बहुत पुरानी है बनी हुई तथा सडक के उत्तर जवावदातागण की पटटे की भूमि है जिसे वादी हडपना चाहता है तथा उसके द्वारा न्यायालय मे झूठा मुकदमा दाखिल किया गया है। वाद दाखिल करने का कोई वाद कारण नहीं है।

5. प्रतिवादीगण 3, 6, 7, 8 व 9 की ओर से लिखित कथन कागज संख्या 49 क प्रस्तुत कर वादपत्र की धारा 1 को स्वीकार किया है तथा कथन किया कि आराजी नं0 48 व 18 कतई शामिल शरीक नही है। आराजी नं0 18 ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि है जो बंजर के खाते में अंकित है। जिस पर वादीगण को किसी भी प्रकार का स्वत्व व अधिकार नहीं है और न प्राप्त हो सकता है और न ही वादीगण का आराजी नं0 18 पर किसी प्रकार का कब्जा दखल है। आराजी नं0 18 के जुज रकबा 0.091 हे0 का पट्टा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को सन 1996 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिया गया है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 काबिज व दखील करा दिये गये है तथा निरन्तर बतौर पट्टेदार काबिज व दखील चले आ रहे है तथा आराजी नं0 18 का शेष रकबा 0.103 हे0 पर कब्रिस्तान व पेड है जो ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है और वादी की आराजी नं0 48 से अलग है जो ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है जिस पर वादीगण को किसी भी प्रकार का स्वत्व व अधिकार नहीं प्राप्त है। वादीगण ने पेशबंदी के तौर पर उपरोक्त वाद दाखिल किया है ताकि इसी की आड में ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर सके। प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त कथन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति भूखण्ड 18 रकबा 0.194 हे0 कागजात सरकारी में बंजर के खाते में अंकित रही जो कि ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि रही जिस पर वादीगण को किसी भी प्रकार का अधिकार व स्वत्व प्राप्त नहीं है। आराजी नं0 18 के जुज रकबा 0.091 हे0 पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नियमानुसार पट्टा प्रदान किया गया है जिस

पर वे काबिज व दखील है तथा आराजी नं0 18 का शेष रकबा 0.103 हे0 आज भी ग्राम सभा के बंजर के खाते में अंकित है जो कि ग्राम सभा की सम्पत्ति है जिस पर वादीगण को कोई भी स्वत्व व स्वामित्व नहीं है। वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा दखल नहीं रहा है और न आज है।

6. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से लिखित कथन कागज संख्या 57 ग प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों से इनकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया कि वादीगण द्वारा पहले दावा उक्त प्रतिवादीगण 1 व 2 की आराजी सं0 18 को नाजायज तौर पर हडपने एव कब्जा करने की गरज से झूठे और मनगढन्त तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया किन्तु जब उन्हे सफलता मिलने की उम्मीद नही रही तो उनके द्वारा वादपत्र में संशोधन करते हुए आराजी नं0 18 को वादपत्र से निकाल दिया गया तथा संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से जबावदातागण की आराजी संख्या 45, 46, 47 के जुज भाग को अपनी आराजी नंबर 48 का जुज भाग बताकर दावे में संशोधन किया गया जिससे वादीगण की जालसाजी स्वतः स्पष्ट हो जाती है। वादीगण द्वारा दाखिल नजरी नक्शा पूर्णतया गलत है वादीगण द्वरा दाखिल नजरी नक्शे में जवाबदातागण के आराजी संख्या 45, 46, 47 के जुज भाग को अपनी आराजी नं0 48 दर्शाया गया है तथा वादीगण के द्वारा जवाबदातागण की सडक के किनारे की कीमती भूमि को हडपने हेतु दावा दाखिल किया गया है।

7. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक– 26.07.2007 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किया गया:–

1. क्या वादीगण वादपत्र के कथनानुसार विवादित सम्पत्ति के मालिक काबिज है?
2. क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या वादीगण द्वारा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 106 व धारा 80 सी0 पी0 सी0 का अनुपालन नहीं किया गया है?
4. क्या दावा वादीगण धारा 331 यू.पी.जेड.ए.एल.आर.एक्ट से बाधित है?
5. क्या दावा वादीगण धारा–34, 38 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 से बाधित है?
6. क्या दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है?
7. क्या प्रतिवादीगण धारा 35 ए सी.पी.सी. के तहत विशिष्ट अनुतोष पाने के अधिकारी है?
8. क्या वादीगण अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही पक्षकारो द्वारा किसी अन्य वाद बिन्दु को बनाये जाने पर बल ही दिया गया है।

8. वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू–1 के रूप में शिवनरेश सिंह का साक्ष्य शपथपत्र 65 क, पी0 डब्लू–2 राजकुमार सिंह का साक्ष्य शपथपत्र 68 क, पी0 डब्लयू–3 के रूप में रामऔतार सिंह का साक्ष्य शपथपत्र 69 क दाखिल किया गया तथा साक्षी पी0 डब्लू–1 शिवनरेश सिंह, पी0 डब्ल्यू–2 राजकुमार सिंह व पी0 डब्लू–3 रामऔतार सिंह से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे सूची 8 ग से उद्धरण खतौनी मूल प्रति, सूची 11 ग से शपथपत्र द्वारा वादी, जिला मजि0 कौशाम्बी के आदेश दि0 04.04.2001 की छाया प्रति, सूची 21 ग से नकल खतौनी, नकल खसरा, दखलनामा दि0 16.03.2001 की छाया प्रति, सूची 101 ग से नक्शा राजस्व मौजा उदहिन बुजर्ग व सूची 105 ग से खतौनी आदि दाखिल किया गया है।

9. प्रतिवादीगण की ओर से सूची गवाहान 76 ग प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0 डब्लू–1 लक्ष्मी सिंह का साक्ष्य शपथपत्र 73 क, डी0 डब्लू–2 बीरेन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र 74 क व डी0 डब्ल्यू–3 शिवलोचन का साक्ष्य शपथपत्र 77 क दाखिल किया गया तथा साक्षी डी0 डब्लू–1 लक्ष्मी सिंह, डी0 डब्लू–2 बीरेन्द्र सिंह व डी0 डब्लयू–3 शिवलोचन से वादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 80 ग से वादग्रस्त भूमि आ0सं0 48 मौजा उदहिन खुर्द सत्यप्रतिलिपि, आदेश दि0 17.06.2002 न्यायालय तहसीलदार सिराथू, आदेश दिनांक–23.06.2004 न्यायालय तहसीलदार सिराथू, भूचित्र मौजा उदहिन खुर्द की सत्यप्रतिलिपि, सूची 86 ग से नकल आदेश दिनांक–07.10.03, नकल आदेश दिनांक–26.11.03, वादपत्र वाद संख्या–160 सन 2004, नकल वादपत्र वाद संख्या 176 सन 2004, नकल आदेश दि0 24.01.08, नकल वादपत्र वाद सं0 472 सन 2004, छाया प्रति एफ0आई0आर0 अ0सं0–104 सन 2004, नकल खसरा दाखिल किया गया है।

10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

:– निष्कर्ष–:

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1–

11. वाद बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण वादपत्र के कथनानुसार विवादित सम्पत्ति के मालिक काबिज है?**

12. उपरोक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा वर्तमान वाद में यह अभिकथन किया गया है कि वादीगण वाद्ग्रस्त सम्पत्ति आराजी संख्या–48 रकबा–0.101 हे० जिसे नक्शा नजरी मे अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, उसके मालिक काबिज व दखील हैं। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के आम, महुआ व बबूल आदि के पेड लगे हुए हैं। प्रतिवादीगण से उक्त विवादित सम्पत्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है।

13. प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया कि वादी अपनी आराजी नं0 48 रकबा 0.101 हे0 स्थित मौजा उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू का संक्रमणीय भूमिधर हैं तथा तथा उस पर वह काबिज व दखील है। आराजी नं0 18 स्थित मौजा उदहिन खुर्द परगना कडा तहसील सिराथू का 0091 हे0 का पटटा प्रतिवादीगण के हक में किया गया है तथा पटटे की भूमि पर प्रतिवादीगण को कब्जा व दखल दे दिया गया है तथा प्रतिवादीगण आज तक बराबर काबिज व दखील चले आ रहे है तथा शेष रकबा 0.903 हे0 पर शमशान व प्रतिवादीगण के पेड खडे है। वादी का उक्त आराजी नं0 18 के एक भी बिस्वा रकबा पर न कोई हक है न हिस्सा है।

14. यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्नवत है–

Section 101 Indian Evidence Act,1872 –*Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*

Rangammal Vs. Kuppuswami, AIR 2011 SC 2344, के मामले में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो कहा जाता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। इस प्रकार, तथ्य को साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो इसे दावा करता है। जब

तक इस तरह के बोझ का निर्वहन नहीं किया जाता है, तब तक दूसरे पक्ष को अपना मामला साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।"

15. प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल लिखित कथन कागज संख्या 12 क, 57 ग व 49 क के माध्यम से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी संख्या–48 रकबा 0.101 हे० के मालिक काबिज व दखील हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीगण के पुश्तैनी पेड खडे है तथा जानवर बांधने की चरही स्थापित है। अर्थात प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी संख्या–48 रकबा 0.101 का वादीगण का होना स्वीकार किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि "Admission is the best piece of evidence"

16. वादीगण द्वारा अपने कथानक के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य सूची 8 ग के माध्यम से उद्धरण खतौनी मूल प्रति, सूची 105 ग से नकल खतौनी, नकल खसरा, दखलनामा दिनांकित–16.03.2001 की छाया प्रति व सूची 101 ग से नक्शा राजस्व मौजा उदहिन बुजर्ग दाखिल किया गया है। उक्त दाखिल राजस्व प्रपत्रों खसरा व खतौनी में विवादित सम्पत्ति के बावत वादीगण का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज होना उल्लिखित है तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व प्रपत्रों में प्रश्नगत भूमि पर उल्लिखित होना दर्शित नहीं है।

17. अतः वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कथित इस तथ्य के समर्थन में कि ''वह विवादित आराजी संख्या–48 रकबा 0.101 हे0 का स्वामी व काबिज दाखिल है'', के सम्बन्ध में पत्रावली पर सूची 8 ग व 105 ग से जो राजस्व प्रपत्र उद्वरण खतौनी व खसरा प्रस्तुत किया है उससे वादीगण का आराजी संख्या–48 रकबा 0.101 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर के रूप में कब्जा होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट व प्रमाणित है।

18. वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा जो भी प्रलेख पत्रावली पर दाखिल है उक्त्त अभिलेखों से वादग्रस्त आराजी पर किसी पक्षकार विशेष के स्वत्व के निश्चायक प्रमाण नही है, परंतु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार व प्रतिवादीगण के प्रतिवादपत्र में स्वीकृत के आधार पर विवादित आराजी संख्या–48 रकबा 0.101 हे0 के बावत वादीगण का कब्जा होना साबित है।

19. जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, वादीगण द्वारा पी0 डब्लू–1 के रूप में शिवनरेश सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पी0 डब्लू–2 राजकुमार सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, व पी0 डब्लयू–3 के रूप में रामऔतार का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया है।

20. वादीगण ने अपने साक्ष्य शपथपत्र के माध्यम से वादपत्र के अभिकथनों की पुष्टि है और विवादित आराजी पर अपने स्वत्व व अध्यासन सम्बन्धी तथ्यों का समर्थन किया है।

21. वादीगण की ओर से परीक्षित पी०डब्ल्यू०–1 शिवनरेश ने जिरह में कथन किया है कि **आराजी नं०–18 व 48 के बीच में पेड है। आराजी नं०–18 में दो आदमियों का पट्टा है। आराजी नं०–18 में मेरा कोई हक़ नहीं है। आराजी नं०– 48 में इस समय मेरा कब्जा है।**

22. वादीगण की ओर से परीक्षित पी०डब्ल्यू०–2 राजकुमार ने जिरह में कथन किया है कि **आराजी संख्या–18 गांव समाज की है। आराजी संख्या– 18 बीरेन्द्र (प्रतिवादी) के घराने को मिला है और पट्टे वाली भूमि पर अशोक व बीरेन्द्र काबिज हैं। आराजी संख्या– 18 के किसी तरफ़ रोड नहीं है।**

23. वादीगण की ओर से परीक्षित पी०डब्ल्यू०–3 राम औतार सिंह ने जिरह में कथन किया है कि **विवादित भूमि का नम्बर 48 है। जिसका रकबा 9 बिस्वा है। आराजी संख्या–48 पर रामनरेश का कब्जा है। आराजी संख्या–48 मे रामनरेश जानवरों का मेला लगवाते थे।**

24. प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित डी०डब्ल्यू०–1 लक्ष्मीदीन ने जिरह में कथन किया है कि **आराजी संख्या–48 वादीगण शिवनरेश व रामप्रकाश के नाम राज्स्व अभिलेखों में दर्ज़ है। आराजी संख्या –48 में प्रतिवादीगण बीरेन्द्र व अशोक का कोई हक़ व अधिकार नहीं है।**

25. प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित डी०डब्ल्यू०–2 बीरेन्द्र ने जिरह में कथन किया है कि **वादग्रस्त भूमि का नं०– 48 है। आरजी संख्या– 48 वादी शिवनरेश सिंह व रामप्रकाश के नाम दर्ज़ है। वादीगण 48 नं० के पुश्तैनी भूमिधर हैं।**

26. प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित डी०डब्ल्यू०–3 शिवलोचन(हल्का लेखपाल) ने जिरह में कथन किया है कि **आराजी संख्या– 48 की चौहद्दी मै बता सकता हूं। उत्तर आराजी संख्या–18 है, दक्षिण आराजी संख्या–49 चकरोड है, पूरब सडक है, पश्चिम आराजी संख्या–50 रामयश की चक है।**

27. यह ध्यातव्य है कि प्रस्तुत प्रकरण में एक सर्वे कमीशन कराया गया था किन्तु उक्त कमीशन की आख्या दिनांक–17.07.2012 को निरस्त कर दी गई थी। इसलिये उक्त सर्वे कमीशन की आख्या को साक्ष्य में नहीं पढा जाएगा।

28. इस प्रकार पक्षकारों के मौखिक साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि विवादित आराजी संख्या– 48 रकबा 0.101 हे0 का राजस्व अभिलेखों पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नही है, न ही यह साबित है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या–48 रकबा 0.101 हे० दर्शाई गई है। प्रतिवादीगण द्वारा भी आराजी संख्या–48 को वादीगण की भूमि स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति आराजी संख्या–

18 के बावत किया गया है जबकि विवाद आराजी संख्या–48 का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जिरह में यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या–48 है।

29. इस प्रकार वादीगण पत्रावली पर प्रस्तुत अपने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व प्रतिवादीगण की स्वीकृति के आधार पर यह साबित करने में सफल रहे हैं कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर स्वत्व व कब्जा है। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02–</u>

30. वाद बिन्दु संख्या–02 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्याकन कम किया गया है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

31. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.09.2007 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03–</u>

32. वाद बिन्दु संख्या–03 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण द्वारा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 106 व धारा 80 सी0पी0सी0 का अनुपालन नहीं किया गया है?**

33. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–49ग की धारा–15 व कागज संख्या–57ग की धारा–13 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण धारा–106 व धारा–80 सी0पी0सी0 से बाधित है।

34. दिनांक–26.02.2004 को प्रार्थना पत्र कागज संख्या–37क के बरवक्त निस्तारण पर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या–6 लगायत 9 को पक्षकार बनाया गया। उक्त वाद बिन्दु के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रस्तुत वाद धारा–106 व धारा–80 सी0पी0सी0 से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–03 नकारात्मक रूप से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04–</u>

35. वाद बिन्दु संख्या–04 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादीगण धारा 331 यू.पी.जेड.ए.एल.आर.एक्ट से बाधित है?**

36. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–49 ग की धारा–16 व कागज संख्या–57 ग की धारा–14 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण धारा–331 यू.पी.जेड.ए.एल.आर.एक्ट से बाधित है।

37. उक्त वाद बिन्दु के संबन्ध वाद बिन्दु संख्या–1 मे न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष में वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी संख्या–48 के बावत वादीगण प्रश्नगत भूमि के मालिक काबिज दखील पाये गये हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिल व दखील स्वीकार किया गया है। उक्त क संबन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रस्तुत वाद धारा–331 यू.पी.जेड.ए.एल.आर.एक्ट से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या–04 नकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05–</u>

38. वाद बिन्दु संख्या–05 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादीगण धारा–34,38 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 से बाधित है?**

39. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–49 ग की धारा–17 व कागज संख्या–57 ग की धारा–15 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण धारा–34,38 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 से बाधित है।

40. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नही दिया गया है तथा न ही कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण द्वारा बल न दिये जाने के कारण व साक्ष्य अभाव में प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। वाद बिन्दु सं० 1 पर निष्कर्ष मेरे द्वारा दिया जा चुका है। उक्त वाद बिन्दु सं० 05 वाद बिन्दु सं० 1 में दिए गए निष्कर्ष के आधार पर ही देखा जाएगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 05 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 06–</u>

41. वाद बिन्दु संख्या–06 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है?**

42. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–49 ग की धारा–18 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है।

43. उक्त वाद बिन्दु सं० 06 के संबंध में प्रतिवादीगण ने प्रतिवादपत्र में यह नहीं बताया है कि आदेश 7 नियम 11 जा० दिवानी के किस उप–खण्ड (Sub clause) से बाधित है और न ही इस पर बल दिया गया है। उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में वर्णित आधारो में से किसी आधार से बाधित हो और वादी का वादपत्र दावा दायरा के समय किसी विधि से बाधित न होने पर मंजूर व दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः वाद बिन्दु सं० 06 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 07–

44. वाद बिन्दु संख्या–07 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रतिवादीगण धारा 35 ए सी.पी.सी. के तहत विशिष्ट अनुतोष पाने के अधिकारी है?**

45. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–49 ग की धारा–19 व कागज संख्या–57 ग की धारा–16 में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण धारा–35 ए सी.पी.सी. के तहत विशिष्ट अनुतोष पाने के अधिकारी है।

46. यहां धारा 35 ए सी.पी.सी. का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा–

Section 35A :-

Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses.

(1) If any suit or other proceedings 2[including an execution proceedings but 3[excluding an appeal or a revision]] any party objects to the claim of defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, 4[if it so thinks fit] may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an Order for the

payment the object or by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation. (2) No Court shall make any such Order for the payment of an amount exceeding 5[three thousand rupees] or exceeding the limits of it pecuniary jurisdiction, whichever amount is less: Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) 6[or under a corresponding law in force in 7[any part of India to which the said Act does not extend]] and not being a Court constituted 8[under such Act or law], are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees: Provided, further, that the High Court may limit the amount or class of Courts is empowered to award as costs under this Section. (3) No person against whom an Order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him. (4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.

47. धारा–35A सी.पी.सी. झूठे व फ़र्जी दावों के सम्बन्ध में प्रतिपूरक लागत को उपाधारित करती है। उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादीगण द्वारा यह वाद झूठा व फ़र्जी दावे के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है। अतः प्रतिवादीगण धारा 35ए सी.पी.सी. के तहत विशिष्ट अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः वाद बिन्दु सं० 07 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 08–

48. वाद बिन्दु संख्या–08 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी है?**

49. वादीगण को अपना वाद स्वयं के पैरो पर साबित करना है। वादीगण प्रतिवादीगण के कमियों का लाभ नही ले सकते हैं। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **हबीबबुल्लाह बनाम मो0 यासीन आदि द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994** के मामले में व **Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulose Athnnasina & others (A.I.R 1954 S.C. Page 526)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय प्रतिपादित किया गया है।

वादीगण ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता ने स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर ही बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1 न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादीगण मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी हैं।

50. जहां तक वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किये जाने का प्रश्न है। न्यायालय का मत का है कि स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के सम्बन्ध में प्रावधान विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा–37(2) व धारा–38 में दिया है। धारा 37(2) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अनुसार **A perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit; the defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right, or from the commission of an act, which would be contrary to the rights of the plaintiff.**

51. धारा 38 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अनुसार **perpetual injunction when granted-**

1. Subject to the other provisions contained in or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favour, whether expressly or by implication.

2- when any such obligation arises from contract, the court shall be guided by the rules and provisions contained in chapter II.

3- When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff"s right to, or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases, namely:-

a- Where the defendant is trustee of the property for the plaintiff

b- where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused, or likely to be caused , by the invasion.

c- Where the invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief;

d- Where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceedings.

52. बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-1 में वादीगण याचित अनुतोष के सम्बन्ध में विवादित आराजी पर अपना कब्जा व स्वामित्व अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादीगण के साक्ष्य स्वीकृति के आधार पर साबित करने में सफल रहे हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपना संक्रमणीय अधिकार व कब्जा इत्यादि को प्रबलता से साबित किया है। वादीगण अपना वाद अपने स्वयं के पैरों पर साबित करने में सफल रहें हैं। अतः वादीगण याचित अनुतोष को पाने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद प्रश्नगत आराजी के संबन्ध में आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

53. वादीगण का वाद आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश सदैव के लिए निषेधित किया जाता है कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी संख्या-48 रकबा 0.101 हे0 स्थित ग्राम उदहिन खुर्द व तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी पर किसी प्रकार से वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें।

54. पक्षकार वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक– 14.09.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय–II,
कौशाम्बी
J.O. Code– UP3792

55. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 14.09.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय–II,
कौशाम्बी
J.O. Code– UP3792

Digitally signed by Shivendra Sharma
Date: 2022.09.14 13:52:26 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court